

nt>

Title: Need to categorise the forest land of Mirzapur in Uttar Pradesh as residential land so as to provide ownership rights to the `Advasis and Vanvasis` of the region.

MR. SPEAKER: Shri Narendra Kumar Kushawaha, please be brief.

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मिर्जापुर जनपद में आदिवासी लोग रहते हैं।

आदिवासी, वनवासी जो वहां के मूल निवासी हैं, वे वहां सदियों से रहते हैं। उनके घर, मकान, खेती, गृहस्थी आदि सारा काम होता है। **â€**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा धीरे बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : वहां हजारों घर ऐसी भूमि पर बने हैं जहां जंगल नहीं हैं, झाड़ी नहीं है केवल परती भूमि है। वे वहां घर बनाकर अपने बाल बच्चों के साथ सदियों से रह रहे हैं। परन्तु भारत सरकार का वन मंत्रालय आज तक उनके घर जमीन को अपने नाम, खसरा खतौनी में अपने नक्शे में दर्ज कराकर रखे हुए है। उस विषय पर जब बातचीत होती है तो जिलाधिकारी कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका वन विभाग जब वहां जाता है तब डंडा लेकर जाता है और वहां के गरीबों को पीट देता है और कहता है कि हट जाओ, यह मेरी भूमि है।

13.00 hrs.

जहां एक ही असैम्बली कौन्सिलिटूँसी में 24,400 बीपीएल लोग रहते हैं, ऐसी दशा में मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वन मंत्री के माध्यम से ऐसा आदेश पारित कर वाएं जिससे जिलाधिकारी एवं प्रभारी वनाधिकारी दोनों का ज्वॉइंट इंसपैक्शन हो और सत्यापन करने के बाद, जो मूल आदिवासी सदियों से वहां रह रहे हैं, उन्हें उनका स्वामित्व दिलाया जाए।

एमपीलैड्स का पैसा *

अध्यक्ष महोदय : एमपीलैड्स वाली बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी।

...(व्यवधान)

*Not Recorded.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
